संख्या- 116/2023/आई/459155/2023-16-3099/12/2019

प्रेषक,

एम0 देवराज
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक-29.12.2023**

विषय- प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में आनलाइन प्रवेश परीक्षा एवं आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया का निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1356/संप्रपप/परी0अनु0-(शा0 निर्गत)/2023 दिनांक- 27.12.2023 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 58/2023/आई/339282 /2023/16-3099/12/2019 दिनांकः- 26-06-2023 को अवक्रमित करते हुए शासन द्वारा प्रदेश की प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में आनलाइन काउन्सिलिंग एवं प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया का र्निधारण निम्नवत् किया जाता हैः-

1. आनलाइन आवेदन प्रक्रिया

i. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आगामी सत्र के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल जनवरी माह में प्रारम्भ करा दिया जायेगा। वर्ष 2024-में अभ्यर्थियों के आनलाइन आवेदन पत्र दिनांक जनवरी 08, के मध्य पोर्टल पर 2024.02.29 से 2024उपलब्ध कराये जायेंगे।

ii. ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण, वर्ग, उपवर्ग, पाठ्यक्रम ग्रुप केन्द्र के लिए चयनित जनपद आदि समस्त विवरण ऑनलाइन पंजीकृत कराने होंगे। वर्ष-2024 में 53 दिनों का समय (दिनांक 08.01.2024 से 29.02.2024 तक) प्रदान कराया जा रहा है।

iii. अभ्यर्थी की आयु उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश परीक्षाओं का संचालन एवं प्रमाण पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली, 1992 (यथा संशोधित) द्वारा निर्धारित सीमा (वर्तमान में सत्र के प्रारम्भ अर्थात् 01 जुलाई को) 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, के अनुरूप होगी। प्रत्येक ग्रुप /पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेश/विनियमावली के अधीन होगी।

iv. ऑनलाइन आवेदन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रु0 200/- एवं शेष हेतु रु0 300/-) को ऑनलाइन पोर्टल पर जमा किया जाना आवश्यक होगा।

v. अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये पंजीकरण शुल्क को किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

2. प्रवेश-पत्र डाउनलोड किया जाना

प्रवेशपत्र डाउनलोड करते समय अभ्यर्थी को पोर्टल https://jeecup.admissions.nic.in पर अपने आधार नम्बर की प्रविष्ट कराते हुए प्रवेश-पत्र को डाउनलोड किया जा सकेगा।

3. प्रवेश परीक्षा

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक) ऑनलाइन विधि से प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजित की जायेगी। प्रवेश परीक्षा में बहु-विकल्पीय (Multiple Choice Objective Type Question) प्रश्न होगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रश्न-पत्र में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के चार विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 04 अंक दिये जायेंगे, उत्तर के चारों विकल्पों में सही उत्तर केवल एक ही होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्रों में 100 प्रश्न होगें।प्रवेश परीक्षा में गलत उत्तर देने पर कोई नकारात्मक अंक (Negative Marks) देय नहीं होगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों का अंक समान होने पर अभ्यर्थी की मेरिट (रैंकिंग) का निर्धारण सर्वप्रथम सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा, तत्पश्चात् न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों के समान प्रतिशत की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शून्य अंक प्राप्त करता है तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्रुपवार परीक्षा तिथि, समय अवधि एवं पाली का विवरण घोषित किया जायेगा।

4. परीक्षाफल की घोषणा

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक) के समापन के पश्चात प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थियों के रैंक कार्ड एवं मेरिट को प्रदर्शित किया जायेगा।

5. आरक्षण

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लागू शैक्षिक भर्ती हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण लागू होगा।

6. प्रवेश वरीयता

i. सर्वप्रथम अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं अथवा जिन्होंने प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से उत्तीर्ण की हो अथवा केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों की संतान, जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय में हो, को प्रवेश आवंटन में वरीयता दी जायेगी।

ii. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु मुख्य काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश देने के बाद यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं तो अन्य प्रदेश के पात्र अभ्यर्थियों को रैंक के आधार पर विशेष काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिये जाने पर विचार किया जायेगा। यदि कोई विदेशी छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाता है तो उसके प्रवेश हेतु उसके देश द्वारा नामित/संस्तुत होना तथा केन्द्र सरकार द्वारा उसके प्रवेश हेतु नामित/संस्तुत/सहमति होना आवश्यक है।

7. स्वास्थ्य

प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए एवं उसके शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण वह प्रोफेशन का कार्य दक्षता से सम्पन्न न कर सके। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश लेने से पूर्व चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक नेत्र बिना चश्में या चश्मे के साथ दिन के प्रकाश में परीक्षण किये जाने पर चिकित्सा मानक से कम नहीं होना चाहिए। ग्रुप-1 (एयरोनाटिक्स से सम्बन्धित पाठ्यक्रम) में अध्ययन हेतु अभ्यर्थी को वर्णान्धता (Colour Blindness) से मुक्त होना आवश्यक है। शैक्षिक योग्यता के आधार पर अर्ह दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के शासनादेश के अनुसार समय-समय पर देय आरक्षण एवं सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

8. शिक्षण शुल्क

शिक्षण शुल्क/छात्रावास शुल्क समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप होगा।

9. संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन

किसी भी ग्रुप में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए उस ग्रुप की वरीयता सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को एन0आई0सी0 के कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से सीट मैट्रिक्स के आधार पर सीट आवंटित की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के विकल्प की संस्था व पाठ्यक्रम के लिए यह परीक्षण किया जायेगा कि क्या उसकी मेरिट एवं आरक्षण वर्ग के आधार पर उसके द्वारा दिये गये विकल्प में सीट आवंटित की जा सकती है? यदि ऐसा नहीं है, तो उसके द्वारा वरीयता क्रम में चिन्हित अगले विकल्प की संस्था व पाठ्यक्रम के लिए यही कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया दोहरायी जायेगी, जब तक उसके द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिये गये समस्त विकल्प समाप्त न हो जायें अथवा उसे कोई आवंटन प्राप्त न हो जाये। तत्पश्चात अगले वरीयताक्रम के अभ्यर्थी के लिए यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी और इसी क्रम में समस्त अभ्यर्थियों के लिए इस कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटों का आवंटन किया जायेगा, जब तक कि समस्त अर्ह अभ्यर्थियों की सूची/सीटें समाप्त न हो जाये।

10. काउन्सिलिंग एवं चरणों की प्रक्रिया

i. काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लागिन आई एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल 0डी0 https://jeecup.admissions.nic.in पर लागिन करते हुए अध्ययन हेतु चयनित संस्थापाठ्यक्रम के / विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा।

ii. काउन्सिलिंग के समस्त चरण आनलाइन होंगे। काउन्सिलिंग के समस्त चरणों को प्रक्रिया के आधार पर निम्नांकित दो भागों में विभक्त किया गया।

A. मुख्य काउन्सिलिंग प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों अथवा ऐसे अभ्यर्थी जो) अन्य राज्य के मूल निवासी हैं, किन्तु उन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे केन्द्र के कर्मचारी जिनका कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हो, की सन्तानें(,

B. विशेष काउन्सिलिंग (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के रूप में चिन्हित उक्त बिन्दु-A पर वर्णित अभ्यर्थियों के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अन्य राज्य के अभ्यर्थियों हेतु)

मुख्य काउन्सिलिंग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण, विशेष काउन्सिलिंग चतुर्थ चरण से अन्तिम चरण तक पूर्ण की जायेगी।

iii. काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में की जाने वाली प्रक्रियाओं यथा-संस्था एवं पाठ्यक्रम का विकल्प चयन, अभिलेख सत्यापन, शुल्क जमा करना, काउन्सिलिंग चरणों के लिए अभ्यर्थन, आवंटित सीट निरस्तीकरण के नियमों, प्रत्येक चरण हेतु अवधि, काउन्सिलिंग प्रक्रिया से विद्ड्राल, संस्था में प्रवेशित छात्र/छात्राओं की रिपोर्टिंग आदि का निर्धारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

a) अभ्यर्थियों को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को सीट एक्सेपटेन्स शुल्क रू-/3000 0एवं रू -/250 0काउन्सिलिंग शुल्क अर्थात् कुल रू -/3250 0ऑनलाइन जमा करते हुए सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर शेष शिक्षण शुल्क काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथियों में पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा, तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा औपबन्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा।

b) निजी क्षेत्र की संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर सीट एक्सेपटेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क रू0 250/- पोर्टल पर जमा करना होगा, तदोपरान्त अभ्यर्थियों को सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर औपबन्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा। अवशेष शिक्षण शुल्क संस्था के खाते में संस्था द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार जमा करना होगा।

c) पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की संस्थाओं में राजकीय सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों को राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं के अनुरूप निर्धारित शुल्क जमा करने के उपर्युक्त नियम लागू होंगे, जबकि निजी क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों पर निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों की भाँति शुल्क जमा करने हेतु उक्त निर्धारित नियम लागू होंगे।

iv. अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध करायी गयी सीट विद्ड्राल की आनलाइन सुविधा के अन्तर्गत सीट एक्सेपटेन्स फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीट एक्सेपटेन्स फीस जमा कर दी है, परन्तु उस चरण की निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित (**Document Verification**) नहीं कराये हैं, का संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा यह सीट अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी तथा सीट एक्सेपटेन्स फीस वापस नहीं होगी, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी आगामी चरण में प्रतिभाग करने हेतु अनर्ह होगा। तदनुसार विद्ड्राल विकल्प चयन करने की स्थिति में यह धनराशि अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा/भुगतान की गयी है उसी बैंक खाते में आनलाइन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्तरित/रिफन्ड की जायेगी एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के अगले सभी चरणों के लिए अपात्र माना जायेगा।

v. आवंटित संस्था में प्रवेश लेने पर अवशेष शिक्षण शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के अन्तिम चरण में प्रवेश की निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात दो दिन के अन्दर सीट एक्सेपटेन्स फीस एवं शिक्षण शुल्क की वापसी हेतु आनलाइन सीट विदड्राल के विकल्प का चयन काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथियों में कर सकेंगे। परिषद को प्राप्त सीट एक्सेपटेंस शुल्क की राशि परिषद द्वारा तथा अवशेष शिक्षण शुल्क की वापसी अभ्यर्थी की प्रवेशित संस्था के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्राप्त होगी।

vi. राजकीय, अनुदानित तथा पी0पी0पी0 क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं हेतु प्रवेश क्षमता के शासनादेश तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी निर्धारित प्रवेश क्षमता के विवरण सम्बन्धी पत्र के आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा संस्थावार, पाठ्यक्रमवार एवं वर्गवार सीट मैट्रिक्स तैयार की जायेगी, जिसके सापेक्ष सीट आवंटन किया जायेगा एवं सीट मैट्रिक्स परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

vii. काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी हेतु शासन/फीस एवं प्रवेश नियमन समिति, उ0प्र0 द्वारा सत्र विशेष के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने के प्रकरण संज्ञान में आने पर सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 की संस्तुति पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

viii. अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक प्रवेश पावना पत्र (Provisional Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंकपत्र, जाति, आय, निवास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। यदि अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग के माध्यम से संस्था/पाठ्यक्रम आवंटन के पश्चात् संस्थान में किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच कराने के पश्चात् सम्बन्धित संस्था में प्रवेश हेतु कार्यवाही करायी जायेगी एवं ऐसी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

ix. प्रवेश काउन्सिलिंग से अभ्यर्थियों द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था के प्रधानाचार्य/निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची एन0आई0सी0 के पोर्टल पर पी0आई0 (Participating Institute) रिपोर्टिंग, काउन्सिलिंग-कार्यक्रम में निर्धारित तिथि तक करना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अंतिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा।

x. प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के इंजी0/फार्मेसी एवं अन्य पाठयक्रमों में प्रवेश आवंटन केवल ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम के अनुसार ही सम्भव होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध/मान्य नहीं होगा।

11. प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का संरक्षण

प्रवेश की अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी भी दशा में कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा। प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात अन्तिम रूप से प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सूची सुरक्षित रखी जायेगी। यह डेटा काउन्सिलिंग पोर्टल पर भी संरक्षित रखा जायेगा।

12. काउन्सिलिंग, प्रवेश प्रक्रिया में यदि कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आता है, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किये गये हैं तो इस प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु एक चार सदस्यीय समिति विचार करेगी। इस समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी, समिति निम्नवत् होगी:-

(1)	निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ	अध्यक्ष
(2)	सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
(3)	सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, लखनऊ	सदस्य
(4)	सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य-सचिव

यह समिति संज्ञान में आये बिन्दुओं पर तत्काल विचार कर निर्णय लेगी तथा लिये गये निर्णयों को सूचित करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13. शासनादेश संख्या-1538971/2021-16-1099/282/2020-1, दिनांक 01 फरवरी, 2021 के अनुपालन में काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित समस्त छात्र/छात्राओं का डेटा परिषद द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को यूराईज पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

14. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा आयोजित ''संयुक्त प्रवेश परीक्षा'' में सम्मिलित होने/काउन्सिलिंग में भाग लेने से अभ्यर्थी एवं संस्था उन सभी नियमों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होंगे, जो इस शासनादेश के विभिन्न प्रस्तर/बिन्दुओं में अंकित है या जिन्हें समय-समय पर परिषद या राज्य सरकार द्वारा निर्गत/लागू किया जाता है।

कृपया उक्त प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

एम0 देवराज
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्कय कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, फार्मेसी काउन्सिंल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, आउन्सिल ऑफ आर्कीटिक्चर, नई दिल्ली।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ (द्वारा सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद)।
7. समस्त प्रधानाचार्य/निदेशक, राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक/डिप्लोमा संस्थाएं (द्वारा सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद)।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।